30.8.19 प्रश्नावली पेश हुई प्रार्थी गण व अधिवक्ता उपस्थित होकर अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा के कारज वादी प्रार्थी के निर्णय व डिक्री में सेवन से गंगा राम, पन्ना लाल, भीम राम, हीरा लाल घासीलाल गोपी लाल को संयुक्त रूप से खातेदार दोषित किया गया है जबकि शंकरलाल वादी के पिता है जिससे सभी विपक्षीगण गंगा राम, पन्ना लाल भीम राम हीरा लाल गोपी लाल पिता शंकर लाल का जाकर खातेदार दोषित किया जावे इसी प्रकार वादी की ख.नं. 3200 रकबा 0.02 भूमी के का भीम राम का 1/6 हिस्सा के बजाय 1/2 हिस्सा निर्णय व डिक्री में दर्ज हवन से हो गया है इसे 1/6 हिस्सा किया जावे इसी प्रकार निर्णय व डिक्री दिनांक 4.4.2018 को जारी की है जिसको 19.9.2017 दर्ज कर दिया है उसे शुद्ध कर 4.4.018 दर्ज किया जावे उक्त त्रुटि विपक्षीगण द्वारा स्वयं हित में आवश्यक है जिसको दुरस्ती का विपक्षीगण करने का आदेश दिया जावे हमारे द्वारा प्रश्नावली पर उपलब्ध डिक्री निर्णय व प्रार्थी के प.प. का अवलोकन किया गया।

ख	हुक्म या कार्यवाही / मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जिसमें प्रथम दृष्टया जाहीर किया गया कुछ त्रुटि दिखाई दे जिसको दुरस्त किये बिना डिक्री क्या होना उचित पाया नहीं है जिसकी प्रार्थी के प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है व मूल डिक्री के निर्णय में निम्न प्रकार का संशोधन किया जाता है कि मूल निर्णय व डिक्री में गंगा राम, पन्ना लाल, भीम राम हीरा लाल, शंकर लाल गोपी लाल संयुक्त खातेदार की जगह गंगा राम, पन्ना लाल भीम राज हीरा लाल गोपी लाल पिता शंकर लाल को संयुक्त खातेदार पढ़ा जावे इसी प्रकार वादी राज की ख.नं. 3200 रकबा 0.02 हेक्टर में पूरी के बजाय राज का 1/2 हिस्से की जगह 1/6 हिस्सा पढा जावे व निर्णय व डिक्री 19.9.17 की जगह 4.4.2018 पढा जावे शेष आदेश मूल पत्रावली सिराइ से तलब कर उसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 152, 153

संपादित 1&1 की दस्तावेजी प्रोफाइल शुल्क
की जाच मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन
की जाकर नम्बर से क्रम की जाँच